

सार-समाचार

झोपड़ियों में लगी आग पर काबू पाया



कोटा, (निसं)। गर्मी की शुरुआत होते ही आगजनी की घटना बढ़ने लगी है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सड़क किनारे बनी मजदूरी की झोपड़ियों में आग लग गई। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की छह-छह फीट ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाते ही अग्निशमन विभाग की दमकलें मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया तब तक एक दर्जन झोपड़ियां और उनमें रखा समान जलकर राख हो गया। गनीमत रही दोपहर का समय होने के कारण टापरियों में मजदूर नहीं थे। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ मजदूरों ने झोपड़ियां बना रखी है। बुधवार दोपहर के समय झोपड़ियों में आग की सूचना मिली जिस पर मौके पर दमकलें भेजी गईं। उन्होंने बताया कि आग की चपेट में आने से 1०-12 झोपड़ियां जल गईं। झोपड़ियां खाली होने से कोई जनहानि नहीं हुई।

पुलिस स्थापना दिवस समारोह सपन्न

कोटा, (निसं)। जिला स्तरीय पुलिस स्थापना दिवस समारोह बुधवार को प्रातःपुलिस लाइन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. अमृता दुहन रही। इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड प्रदर्शन किया गया एवं सराहनीय सेवा के लिए 1०4 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा पदक प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक शहर डॉ.अमृता दुहन ने परेड की सलामी ली व निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन के विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही आदर्श पुलिस की परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने पुलिस द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही, भविष्य की चुनौतियों के लिए और भी प्रतिबद्धता के साथ तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने सम्मानित हुए पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं दी और उनका मनोबल बढ़ाया। परेड में कोटा शहर द्वितीय बटालियन आरएसी एवं कोटा प्राणीमण की महिला प्लाटून ने भाग लिया। परेड का नेतृत्व उपनिरीक्षक दुर्गाशंकर ने किया। पुलिस दिवस के उपलक्ष में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें 141 यूनिट ब्लड संग्रहण हुआ। पुलिस परेड ग्राउंड परिसर में पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर सभी एडिशनल एसपी, थाना अधिकारी, एसओजी, एंटीएस, सीआईडी सी भी सहित सभी प्रकोष्ठों के अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल सोनी ने किया।

टीम जीवनदाता द्वारा भीषण गर्मी में भी मदद का सिलसिला जारी

कोटा, (निसं)। टीम जीवनदाता द्वारा लोगों को भीषण गर्मी में भी रक्तदान एवं एसडीपी के माध्यम से उनकी सेवा का क्रम निरंतर जारी है। टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक युवनेश गुप्ता ने बताया कि कोटा एक निजी अस्पताल में भर्ती गुना मध्यप्रदेश के एक मरीज गिरांज की प्लेटलेट महज 1० हजार रह गई थी। परिजन एबी पॉजिटिव ग्रुप की एसडीपी लिए परेशान हो रहे थे, ऐसे में उनके रिश्तेदार हेमंत प्रजापत को टीम जीवनदाता के कोटेक्ट नंबर कहीं से मिला। टीम जीवन दाता से संपर्क किया, युवनेश गुप्ता ने उनके संपर्क में काफ़ी लोगों को कॉल किया। अंत में किराना व्यवसायी रोहित गुणैल को कॉल किया तो वह अपनी दुकान पर बैठे थे, दोपहर का समय था, उस समय दुकान पर कोई सहयोगी भी नहीं था, लेकिन जब मरीज की स्थिति गंभीर बताई गई तो वह दुकान मंगल कर सीधे ही अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंच गए। उन्होंने 30वीं बार एस्पडीपी डोनेट की है, जबकि वह 17 बार ब्लड डोनेशन कर चुके है। रोहित गोयल का कहना है कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे में मदद करना ही सर्वोपरि है, किसी के जीवन में जीवन बचाने के काम आए तो इससे बड़ा पुण्यकार्य नहीं हो सकता।

मंदिर से चोरी ने आभूषण चुराए

भवानीमंडी, (निसं)। प्राचीन अनुष्णणी माता मंदिर में चोरों ने करीब आधा किलो चांदी के मुकुट और छत्र चोरी कर लिया। यहां तक कि चोरों ने सोने के आभूषण के चक्कर में नकली आभूषण भी नहीं छोड़े। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गयी है। मंदिर में चोरी को लेकर ग्रामवासियों में रोष है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवानीमंडी सर्किल के मिश्ररौली कस्बे में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर को अज्ञात चोरों ने बीती रात को अपना निशाना बनाते हुए मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और वहां माता की प्रतिमा को सफाई लगे चांदी के मुकुट और छत्र सहित करीब आधा किलो चांदी के आभूषण चुरा कर फरार हो गए। सुबह पुलिस को जानकारी मिलने के बाद वहाँ पुलिस उपअधीक्षक प्रेमकुमार चौधरी पहुंचे और मामले को जांच कर चोरों की तलाश के लिए टीम गठित की है। गौरतलब है की यह झालावाड़ जिले का सबसे प्राचीन मंदिर से जहाँ क्षेत्र के लोगों में माता के प्रति खूब आस्था है।

राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। रामपुरा कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राओं द्वारा उनके प्रिंसिपल पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कोटा के कांग्रेसजनों ने प्रिंसिपल को पद से हटाने और मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस जन जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत और सचिव राजू पहाड़िया ने ज्ञापन देकर कहा कि 7 अप्रैल को महाविद्यालय की छात्राओं में शिक्षा निदेशक के प्रिंसिपल के खिलाफ मम सबूत शिकावत दर्ज कराई थी पर आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई मामले की गंभीर देखरेखीला तो देखते हुए कांग्रेसजनों ने आवाज उठाई है। राज्यपाल से मांग की है, कि प्रिंसिपल को पद से हटाकर महिला आयोग पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मिलकर इस मामले की जांच करें और प्रिंसिपल को गिरफ्तार करें।

छबड़ा में केट वूमेन विंग का शुभारंभ

छबड़ा (निसं)। बारां, कोटा, उदयपुर प्रभारी सुमन गोयल ने पांच सदस्यीय टीम के साथ छबड़ा पहुंचकर विधिवत् केट विजनेस वूमेन विंग का शुभारंभ किया। यहां सर्वसम्मति से छबड़ा-छोपाबडींद अध्यक्ष अनामिका जैन को बनाया गया। कार्यक्रम में बारां से आई सुमन गोयल, ललितता टोंगीया, अनिता सेठी, चंदा ठाकुरिया, बारां कोषाध्यक्ष चारु गुप्ता ने वन विनोचित अध्यक्ष का स्वागत-सम्मान किया। यहां उर्मिला मित्रल, नवरा सोनी, नीति सोनी, मिही नामदेव, पूजा शर्मा, तनिशा घर्मा, धिल्पी घर्मा, अंतिमा घर्मा, रीती सोनी सहित अन्य सदस्यों ने संस्था की सदस्यता ग्रहण करने पर हर्ष व्यक्त किया। आगामी बैठक में छबड़ा की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई आज

झालावाड़ (निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन को परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित नित्कार के लिए अप्रैल माह के तृतीय गुरुवार 17 अप्रैल को प्रातः 11 बजे मिनी सचिवालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जिसमें परिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की जाएगी।

बाइक चोरी हुई

छबड़ा (निसं)। बाईक चोरी का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीन दिन पूर्व मोती कॉलोनी से बाईक चोरी हो गई। रामकेश कुमार सोनी ने बताया कि तीन दिन पूर्व मोती कॉलोनी स्थित घर के सामने साइकल चोरी हो गई। जिसकी उन्होंने तलाश भी की, किंतु कहीं नहीं मिली। उन्होंने थाने मे प्रकरण दर्ज करवा दिया है।

गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कहा कि गलती करने से डरो मत। गलती सबसे हो सकती है लेकिन आप अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। डॉ. गोस्वामी बुधवार दोपहर मोशन एजुकेशन के झोंगा-2 कैम्पस में कोचिंग विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव बांटे। हंसी-मजाकी की, उनकी बात सुनी और सवालों के जवाब दिए। जिला कलेक्टर ने कहा

■ जिला कलेक्टर डॉ. गोस्वामी ने मोशन एजुकेशन के स्टूडेंट्स को दिए कामयाबी के गुर

कि आप कोटा में पढ़ने आए हैं। इसलिए रोज पढ़ो और अपने पठ्यथ की ओर बढ़ते रहो। सलेक्शन जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा-जीवन में जो करो दिल से करो। भले ही मन का ना हो पर पक्का है, आपके लिए जो होगा, सबसे बेहतर ही होगा।

पढ़ाई के लिए समय कैसे तय करें:-याद रखें, हमें कुछ समय पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एवरेज और फिर बोरिंग। जिस समय पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ो। तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ें। हर सवाल को एनालाइज करने

अवैध मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार

भवानीमंडी, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस थाना भवानीमंडी ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 1 किलो ९20 ग्राम गांजा जप्त कर आरोपी इकबाल को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ तस्करी एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिले में थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इन्ही निर्देशों की पालना में पुलिस थाना अधिकारी रमेशचंद मीणा ने भवानीमंडी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दौरान नाकाबंदी अवैध मादक पदार्थ को तस्करी करते हुये आरोपी इकबाल को गिरफतार कर आरोपी के कब्जे से 1 किलो ९20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसाईकिल जप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

पुलिस स्थापना दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान व पौधारोपण किया

कोटा, (निसं)। जिला स्तरीय पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। पुलिस स्थापना दिवस समारोह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किये गये।

पुलिस अधिकारियों व जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और पुलिस लाइन में अधिकारियों व जवानों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर शहर पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। जिसमें कोटा शहर की एक प्लाटून, एक प्लाटून द्वितीय बटालियन आरएसी एवं कोटा ग्रामीण की एक महिला प्लाटून सहित कुल तीन प्लाटून ने परेड में भाग लिया। परेड का नेतृत्व पुलिस लाइन के उपनिरीक्षक

इस अवसर पर शहर एसपी अमृता दुहन सहित पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा 141 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया गया साथ ही पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। शहर

■ 105 पुलिस जवानों का सम्मान हुआ

दुर्गाशंकर द्वारा किया गया। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने परेड की सलामी ली व निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तम सेवा के लिये शहर के 1०5 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में शहर एसपी, एएसपी, पुलिस उपअधीक्षक एवं थानाधिकारी सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान मौजूद रहे।

इस अवसर पर शहर एसपी अमृता दुहन सहित पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा 141 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया गया साथ ही पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। शहर

इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में कवाएए जा रहे मेडीकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए।

महावीर कॉलोनी व मजिस्ट्रेट

झील के किनारों तथा झील के पानी को साफ करवाया जावें।

इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में कवाएए जा रहे मेडीकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिए औरों अधिकारीयों को कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए।



कोटा जिला कलेक्टर ने कोचिंग स्टूडेंट्स से संवाद किया।

मोबाइल का लिमिटेड उपयोग ही करें:-इस सवाल पर डॉ.गोस्वामी ने कहा कि यह समस्या बहुत बड़ी है। हम मोबाईल बहुत देर तक देख लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आती है, इसलिए लिमिटेड उपयोग करना शुरू करें। मोबाईल ही नहीं हर आदत पर कंट्रोल करना आना चाहिए।

पढ़े को ऐसे याद रखें:-एक छात्र ने कलेक्टर से कहा कि उसे पढ़ाई के बाद भी आत्मविश्वास नहीं आ पाता और अपनी तैयारी पर शंका बनी रहती

किसानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की मांग

कोटा, (निसं)। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी की अनुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा मंडी में अनाज बेचने आए किसान रामप्रसाद धाकड़ से रायपुरा चौराहे पर हुई मारपीट के विरोध और हमलावरों की गिरफ्तारी के साथ किसानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की मांग को लेकर एडीएस कृष्णा शुक्ला को ज्ञापन सौंपा।

नायक ने बताया कि भारत में किसान को अन्नदाता धरतीपुत्र देवता माना जाता है और पुलिस की लापरवाही के कारण विगड़ी हुई कानून व्यवस्था से अपराधियों के हासले इतने बुलंद हो चुके है कि वो भरे बाजार या पुलिस की उपस्थिति वाले चौराहों पर भी

अपराधिक वारदातों को अंजाम देते हुए किसानों से मारपीट कर रहे है साथ ही रायपुरा चौराहे पर पुलिस सिर्फ चालान काटने के नाम पर राहगीरों से पैसे की वसूली में लगी रहती है और जाम खुलाने के नाम पर नागरिकों से अभद्र व्यवहार करती है परन्तु पुलिस का अपराधियों पर नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं है इसी कारण बारां के गुलाबपुरा से कोटा मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसान रामप्रसाद नागर के साथ समाज कंटको ने जानलेवा मारपीट की और पुलिस मुकदर्शक बनी रही।

समाजसेवी अरविंद यादव और भाजपा नेता घनश्याम ओझा ने बताया कि पुलिस अपराधियों से मिलीभगत करके आमजन में भय और अपराधियों

में विश्वास की परिपाटी पर चल रही है। हाल ही में अहिंसा सर्किल पर हुए हत्याकांड के आरोपी पकड़ में भी नहीं आएँ किसान के साथ हुई मारपीट के हमलावरों का गिरफ्तार नहीं होना पुलिस की नाकामी और अपराधियों से सांठ-गांठ को दर्शाता है, इसीलिए जापान के माध्यम से किराना रामप्रसाद के हमलावरों की तुरन्त गिरफ्तारी के साथ-साथ मंडी में आने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर युवा नेता राहुल मीणा, नरेंद्र पुरी, धवन दवाला, जितेंद्र करयप, सतीश गोचर, लालचंद नायक, नवीन खत्री, सुनील शर्मा, विष्को नायक, लोकेश गुप्ता, मोनू पांचाल आदि उपस्थित रहे।

चाकूबाजी की घटना में वांछित चार आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। सुलतानपुर थाने में दर्ज चाकूबाजी के प्रकरण मे पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस टीम पूर्व में इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा ने बताया कि 7 अप्रैल को सुलतानपुर थाना इलाके में फरियादी सतीश कुमार पर हुई चाकूबाजी के मामले में सुलतानपुर थानाधिकारी सत्यनारायण मालव के नेतृत्व में गठित टीम ने वांछित चल रहे आरोपी सरफराज उर्फ टन्नु, मोहम्मद साहिल, साबिर तीनों हाडा मार्केट सुलतानपुर के निवासी है एवं एक अन्य गिरफ्तार आरोपी ओडुपुरा बस्ती थाना कोतवाली जिला बारां निवासी शाहिल है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सार-समाचार

अनुूठे डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक कार्यालय में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रभात के मार्गदर्शन में भारतीय रेल के रूथ्थाना दिवस के अवसर पर अनुूठे डाक टिकटों की एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में डाक टिकट संग्रहकर्ता अरविन्द मलिक द्वारा सन् 1853 से अभी तक के भारतीय रेल से संबंधित डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई। यह आयोजन मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) एसडी पाटीदार के निदेशन एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी (आईआर) अजय कुमार दीक्षित के संरक्षण में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय) द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय रेल द्वारा अर्जित विशेष उपलब्धियों के अवसर पर जारी डाक टिकटों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इनमें पहली यात्री रेल, विद्युत्कर्षण के 75 गौरवपूर्ण वर्ष, भारतीय रेल के 15० वर्ष पूर्ण होने पर जारी डाक टिकट प्रमुख रूप से शामिल है। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवलोकन किया।

नरेन्द्र सिंघल एन.ओ.बी.डब्ल्यू की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में चयनित

कोटा, (निसं)। देव भूमि वृंदावन में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. का 21वां त्रैवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका शुभारम्भ डॉ.संजीव कृष्ण ठाकुर एवं साधवी रितम्भरा की शुष्णा साधवी समाहिता के आशीर्वाचन से हुआ। सम्मेलन में देशभर से आए हुए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के बैंककर्मियों द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं मंथन किया गया। सम्मेलन के अंत में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया जिसमें राजस्थान प्रदेश से अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र सिंघल, पंजाब नेशनल बैंक, कोटा को कार्यसमिति सदस्य चुना गया। नरेन्द्र सिंघल वर्तमान में एन.ओ.बी.डब्ल्यू से सबबद्ध पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के महासचिव है।

कपड़ा व्यापार संघ के चुनाव संपन्न

कोटा, (निसं)। इंद्रा मार्केट कपड़ा व्यापार संघ के चुनाव बुधवार को सम्पन हुए, जिसमें राजकुमार पेरावानी अध्यक्ष एवं रूपनारायण श्रृंगी सचिव पद पर चुने गए साथ ही कैबिनेट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हीराचंद सुखाना, उपाध्यक्ष इमरान अली, कोषाध्यक्षा ओम प्रकाश गुलिया एवं सह सचिव पद पर निसार अहमद निर्वाचित घोषित किए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट देवेन्द्र वर्मा एवं सह-चुनाव अधिकारियों द्वारा इंद्रा मार्केट के निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए गए।

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज०)		
email : nnikota@gmail.com, websites : www.kotamc.org		
प्रकाशक - नरिीको(3)/नरिीनर/2025/2946-60		दिनरक - ०9/04/2025
ई-निविदर सूचनर		
नगर निगम कोटर उत्तर दूररर विभिन्न रररकीय अभियरंत्रिकी विभरगों के पंजीकृत 'A', 'AA' श्रेणी एवं नगर निगम कोटर उत्तर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जरतर है कि नगर निगम कोटर उत्तर दूररर कुल 02 कर्य हेतु ई-निविदर सूचनर संख्या- 03 / 2025-26 से सम्बंधित कर्यों हेतु ऑनलरइन निविदर रररंत्रित की जरती है। उक्त कर्यों कर विस्तृत विवरण, निविदर शर्तें, अनुमरित लरगत,निविदर बैचन, प्ररत करने एवं खोलने की दिनरक ररदि सम्पूर्ण विवरण सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटर उत्तर की वेबसरइट www.kotamc.org, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जर सकती है।		
NIB No. DLB256A0347,		
UBN No. :DLB2526WSOB01427, DLB2526WSOB01428		
		अतिरिणी अतिरिक्तर
ररर.सहचर.ररर/25/786		नगर शिवल कोटर-उत्तर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/100932

लोकप्रिय

दि.16.04.2025

श्री VINEET BAKSHI पुत्र श्री V.P. BAKSHI जाति BAKSHI निवासी 131, DASHERA MEDAN, KOTA ने इस कार्यालय में मौखिक उल्लिखित भूमि का अव्यवस्थापिक प्रयोजन के उपयोग हेतु पेशी भूमि के अपने अधिपति अधिकारी के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम हस्तोक्त व शीर्षक का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाडपुरा (कोटा) GOVINDRAM MEMORIAL EDUCATION SOCIETY	125	1400	0.14
2.	लाडपुरा (कोटा) GOVINDRAM MEMORIAL EDUCATION SOCIETY	126	4000	0.4
3.	लाडपुरा (कोटा) GOVINDRAM MEMORIAL EDUCATION SOCIETY	127	4500	0.45
			कुल	0.99

विशेष सूचना: ग्राम हस्तोक्त व शीर्षक का नाम भूमि का विवरण के लिए कृपया निजी दस्तावेजों पर 5-वर्षाव अद्यतन, 1956 की भूमि अधिनियम और राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन दस्तावेजों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी (UDM) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक भूमि के उपयोग हेतु अद्यतन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक 15.04.2025 तक प्रा

इसलिए इनके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सत्यमेव जय-चरित्र अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और सत्यमेव अभिप्राति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन सूचीकृत प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुदान प्रदान करने और अभिप्राति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आदेश हो तो इस मोटिव के प्रयासों के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी अधिपति आदेशों से लगे हुए इन धारा 90-A For Development Authority (UDH) अनुदानों पर आधारित सत्यमेव दस्तावेज को अमल में कर अपना आदेश दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम सत्य के भीतर-भीतर किसी आदेश के अभाव में यह सत्याज जा रहा कि किसी को आदेश नहीं है और तत्पश्चात् मामले का निपटारा किया जाएगा। यह सूचना मे हर्षभाषा और मूल के अभाव में 16/04/2025 का जारी की गई।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		
क्रमांक:-एफ11/ विक्रय/2०25/665	विज्ञप्ति	दिनांक:- 22.01.2025
नगर विकास न्यास कोटा की योजना श्रीरामकृष्णपुर-बी व्यावसायिक प्लेटफार्म संख्या 37 को आवंटन/न्यास के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 2०.12.1996 को श्री महावीर गोस्वामी पुत्र श्री बंकर बिहारी गोस्वामी को आवंटन किया गया था। उक्त प्लेटफार्म का मुख्यानामा दिनांक 05.03.2०09 को श्री रामचरण प्रजापत पुत्र श्री प्रभूलाल प्रजापत के नाम किया गया था मुख्यानाम के आधार पर दिनांक 21.०8.2०23 को श्री रामचरण प्रजापत द्वारा विक्रय स्वीकृति आवेदन के पश्चात आवंटी श्री महावीर गोस्वामी एवं श्री रामचरण प्रजापत के द्वारा दिनांक 27.०4.2०24 को मुख्यानामा निरस्तोकरण निष्पादित कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। आवंटी श्री महावीर गोस्वामी पुत्र श्री बंकर बिहारी गोस्वामी द्वारा स्वयं के नाम विक्रय स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।		
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त प्लेटफार्म संख्या 37 योजना केसबपुरा-7 व्यावसायिक को विक्रय स्वीकृति श्री महावीर गोस्वामी पुत्र श्री बंकर बिहारी गोस्वामी के नाम जारी कर दी जायेगी।		
उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		
क्रमांक:-एफ11/ विक्रय/2०25/1454	विज्ञप्ति	दिनांक:-7.4.25
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना श्रीरामकृष्णपुर-बी व्यावसायिक प्लेटफंड संख्या 135-एन का आवंटन कर क्रमांक 375 दिनांक 09.०1.2०23 को श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार के नाम आवंटन किया गया था। श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार की मृत्यु दिनांक 2०.04.2०23 को हो गयी है। मृत्यु उत्पत्ति श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रपत्र पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती लता देवी पत्नी स्व. श्री सुरेश कुमार द्वारा उक्त प्लेटफंड संख्या 135-एन श्रीरामकृष्णपुर-बी व्यावसायिक अपने नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।		
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई एतराज हो तो विज्ञाति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त प्लेटफंड संख्या 135-एन योजना श्रीरामकृष्णपुर-बी व्यावसायिक का नाम हस्तांतरण श्रीमती लता देवी पत्नी स्व. श्री सुरेश कुमार के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।		
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा		

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)		
क्रमांक:-नविनको./को.उ./राजव/ /2०25 /35-36	विज्ञापन	दिनांक:-16.4.2०25
सार्वजनिक आपत्ति सूचना सर्व साधारण को जर्ब आम सूचित किया जाता है कि श्री घनश्याम पारेता पुत्र श्री गोपीलाल पारेता निवासी फ्लेट नं. 1302 पार्क न्यू रूज सिटी श्रीनारायपुरम ईबीनियरिंग कलेज कोटा द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रिस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2०16 के अनुसार सुरुक्त होटल एवं फ्लैट नं. 668, 211 नयाखेड़ा तहसील लाडपुरा कोटा की अनुमति चाही गई है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक ०7 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 3०7 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो। उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)		